भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5524

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गंगा जल में प्रदूषण का मुद्दा

† 5524. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी में जीवाणुजन्य संदूषण, विशेष रूप से फेकल कोलीफॉर्म के खतरनाक स्तर को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त जल सार्वजनिक उपयोग के लिए उपयुक्त है, सरकार द्वारा तत्काल क्या कार्रवाई की जाएगी;

(ख) उपर्युक्त सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आलोक में सरकार द्वारा गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अशोधित सीवेज और घरेलू अपशिष्ट जल को रोकने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) गंगा नदी में फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के उच्च स्तर की उपस्थिति का ब्यौरा क्या है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(घ) नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य में सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के कामकाज में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/प्रस्तावित किए जाने हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने तथा स्नान एवं अन्य प्रयोजनों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए प्रभावी जल उपचार एवं अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों के कार्यान्वयन हेतु निश्चित समय-सीमा और विस्तृत योजना निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रस्तुत दिनांक 28.02.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, सभी निगरानी स्थलों के लिए पीएच, घुलित ऑक्सीजन (डीओ), जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फेकल कोलीफॉर्म (एफसी) का औसत मान स्नान हेतु पानी के संबंधित मानदंड/अनुमेय सीमा के भीतर था।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) को क्रियान्वित किया जाता है।

नदियों की सफाई/पुनरुद्धार एक सतत क्रियाकलाप है। नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़े जाने से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक उपचार सुनिश्चित करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भारत सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से गंगा बेसिन में नदियों/सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

इसके अलावा, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुलग्नक** में हैं।

अनुलग्नक

“गंगा जल में प्रदूषण के मुद्दे” के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5524 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

i. प्रदूषित नदी क्षेत्रों के उपचार के लिए 206 सीवरेज अवसंरचनाएँ शुरू की गई हैं, जिनकी उपचार क्षमता 6,335 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) है। 3,446 एमएलडी क्षमता वाली 127 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और क्रियाशील हो गई हैं।

ii. औद्योगिक प्रदूषण में कमी लाने के लिए 3 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) मंजूर किए गए हैं, यानी जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), बंथर सीईटीपी (4.5 एमएलडी) और मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी)। दो परियोजनाएं, मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) और जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी) पूरी हो चुकी हैं;

iii. एनएमसीजी में, गंगा और यमुना नदी संबंधी नदी जल की गुणवत्ता, एसटीपी के निष्पादन आदि की निरंतर निगरानी के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड "प्रयाग" चालू किया गया है;

iv. 139 जिला गंगा समितियाँ (डीजीसी) गठित की गई हैं जो नियमित रूप से 4एम (मासिक, अधिदेशित, ब्यौरे-वार और निगरानी) बैठकें आयोजित करती हैं। दिसंबर 2024 तक 3,781 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं;

v. जैव विविधता संरक्षण: उत्तर प्रदेश के सात जिलों (मिर्जापुर, बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं, अयोध्या, बिजनौर और प्रतापगढ़) में सात जैव विविधता पार्क और उत्तर प्रदेश (3), और झारखंड (1) में 4 प्राथमिकता वाले आर्द्रभूमि स्वीकृत किए गए हैं;

vi. एनएमसीजी ने राज्य वन विभाग के माध्यम से गंगा नदी के मुख्य संगम पर वानिकी क्रियाकलाप परियोजना लागू की है।

vii. केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) द्वारा कार्यान्वित विशेष परियोजना के तहत मछली जैव विविधता और नदी डॉल्फ़िन के लिए शिकार से संरक्षण और गंगा बेसिन में मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए 2017 से गंगा में 143.8 लाख भारतीय मेजर कार्प (आईएमसी) हेतु छोटी मछलियों (फिंगरलिंग्स) का पालन किया गया है;

viii. भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून और राज्य वन विभाग के सहयोग से डॉल्फिन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और घड़ियाल जैसी जलीय प्रजातियों के लिए विज्ञान आधारित प्रजाति बहाली कार्यक्रम, बचाव और पुनर्वास कार्यक्रम से डॉल्फिन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और अन्य नदी प्रजातियों की बढ़ती संख्या के साथ जैव विविधता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है;

ix. "गंगा ज्ञान पोर्टल" राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित एक अग्रणी पहल है, जो जल संसाधन

प्रबंधन पर व्यापक संसाधनों के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है। यह प्लेटफ़ॉर्म छात्रों, शोध विद्वानों, हितधारकों और आम जनता के लिए पत्रिकाओं, प्रकाशनों, पुस्तकों, तकनीकी लेखों, शोध रिपोर्टों; डेटा सेट (जिला नदी मानचित्र, एसटीपी प्रदर्शन और नदी एटलस) और कॉफी टेबल पुस्तकों सहित सामग्री की एक विशाल श्रृंखला (716 दस्तावेज़) तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है। जल संसाधन चुनौतियों की पेचीदगियों पर ध्यान केंद्रित करके, गंगा ज्ञान पोर्टल का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है;

x. उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा टास्क फोर्स (जीटीएफ) की स्थापना एनएमसीजी को उसके निर्धारित कार्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए की गई थी, जैसे (क) मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण; (ख) जन जागरूकता/भागीदारी अभियानों का प्रबंधन; (ग) जैव विविधता संरक्षण के लिए संवेदनशील नदी क्षेत्रों की गश्त; (घ) घाटों की गश्त, आदि;

xi. गंगा दूत (45,000), गंगा प्रहरी (2,900) और गंगा मित्र (700) जैसे संवर्ग जन भागीदारी क्रियाकलापों में शामिल है;

xii. गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के प्रयासों में लोगों में जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना पैदा करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इनमें गंगा उत्सव, नदी उत्सव, नियमित सफाई अभियान और वृक्षारोपण अभियान, घाट पर योग, गंगा आरती आदि शामिल हैं। इन प्रयासों को गंगा प्रहरी, गंगा विचार मंच, गंगा दूत आदि जैसे समर्पित गंगा रक्षकों का भी समर्थन प्राप्त है।

******